(11)	
	साझा ग्रेड में समान ग्रेड पे या वेतनमान में आमेलित कर दिए गए हैं; और जहां यह लाभ केवल उन पदों को मिल रहा है जिनके लिए उक्त ग्रेड पे या वेतनमान अथवा किसी उन्नयन सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के हैं ।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) में शामिल पदाधिकारी : (1) भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य (3) भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य	पद पर प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-16011/3/2004-प्रशा.-2/5]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 15th September, 2011

G.S.R. 265.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Senior Research Officer (Social Studies) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Research Officer (Social Studies) in the Office of the Registrar General, India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Senior Research Officer (Social Studies) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

3404 GI/11-2

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Research Officer (Social Studies)	1* (2011) *Subject to the variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 (Rs. 15600–39100) and Grade Pay Rs. 6600	Selection post	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Research Officer (Social Studies) in Pay Band-3, (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 5400 with five years' regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the

corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract) :

Officers of the Central Government or the State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band -3; (Rs. 15600—39100) and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential :

(i) Master's Degree in Anthropology (with specialization in Cultural or Social Anthropology) or Sociology from a recognised University; and

(ii) five years' experience in Social Research on Village and Community Studies.

Desirable :

Doctorate degree in Anthropology (with specialization in Cultural or Sociology Anthropology) or Sociology from a recognised University.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit

(11)	
will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Registrar General, India —Chairman 2. Joint Secretary (Administration) Ministry of Home Affairs —Member 3. Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

[F. No. A-16011/3/2004-Ad. II/Ad. V]
SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 266.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक जनगणना कार्य के कार्यालयों में (हिन्दी अनुवादक ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में हिन्दी अनुवादक ग्रेड-II, कनिष्ठ अनुवादक के रूप में पुन: पदनामित के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य के कार्यालय, कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

(18

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	14*(2011) *(कार्यभार के अनुसार में परिवर्तन किया जा सकता है ।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पीबी-2, (रु. 9300—34800 रु.) ग्रेड पे 4200 रु.)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) **टिप्पणी :** आयु के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के साथ हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

19)

(7)	
साथ या परीक्षा के माध्यम के रूप में इन दोनों में से किसी एक में परीक्षा के माध्यम के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य; और (II) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य; या भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिन्दी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में डिग्री या डिप्लोमा या समतुल्य । **टिप्पण 1 :** कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में लिखित रूप में रिकार्ड कारणों से अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में लिखित रूप में रिकार्ड कारणों से शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी :** पदस्थ के प्रतिनियुक्ति पर बाहर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन-छुट्टी या एक वर्ष या इससे ज्यादा की अवधि की किसी अन्य परिस्थिति के अंतर्गत हुई रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा । (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड 1–5200–20200 रुपए तथा ग्रेड पे 2800 रुपए या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की सेवा पूरी की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड 1–5200–20200 रुपए तथा ग्रेड पे 2800 रुपए या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो; या (ख) सीधी भर्ती व्यक्तियों के लिए कालम 7 में विहित योग्यताएं और अनुभव धारक ।	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि संबंधी मामलों पर विचार हेतु) : 1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार या भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के निदेशक या उप सचिव —सदस्य 3. अवर सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-16011/16/2000-प्रशा.-II]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

New Delhi, the 20th September, 2011

G. S. R. 266.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Hindi Translator Grade-II) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Translator Grade-II re-designated as Junior Translator in the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories, Junior Translator Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification Pay Band and Grade Payor Pay Scale.—The number of the post, its, classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.